न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिवाना जिला बालोतरा

पीठासीन अधिकारीः– सुरेन्द्र सिंह खंगारोत आर.ए.एस

राजस्व आवेदन संख्याः– 233 / 2025

प्रार्थीः–

हनीफ खान पुत्र अकबर खान जाति मुसलमान निवासी सिवाना जिला बालोतरा

बनाम

विप्रार्थीः–

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सिवाना जिला बालोतरा

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 131,136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :–

श्री गणपतसिंह गोलिया अधिवक्ता प्रार्थी

–:: आदेश ::–

दिनांक :– 15.10.2025

यह आवेदन प्रार्थी द्वारा विप्रार्थी के विरूद्ध राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 131, 136 के तहत पेश किया गया है, आवेदन के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी की खातेदारी खेत ग्राम सिवाना तहसील सिवाना में पुराना 2631 / 991 रकबा 1.5176 हैक्टेयर भूमि अवस्थित है तहसील सिवाना के सर्वे –रिसर्वे के पश्चात प्रार्थी के खातेदारी खेत के नया खसरा संख्या 2099 रकबा 1.5448 हैक्टेयर बना, नवीन भू प्रबन्ध के दौरान राजस्व कर्मचारियों द्वारा प्रार्थी के खेत की बदिशा दक्षिण दिशा के पूर्वी माठ पर त्रिभुजाकर नया खसरा दर्शा दिया गया है लेकिन पूर्व के राजस्व रेकर्ड में इस प्रकार का कोई नया खसरा नही था उक्त खसरे की बदिशा दक्षिण की पूर्वी माठ में पीढ़ियों पुरानी माठ है जो पेड –पौधो से बनी हुई है वर्तमान के सेटलाईट मैप में भी कोई त्रिभुजाकार खसरा नहीं है साथ ही विवादित भूमि की उतरी सीमा जो कि सिवाना से पादरू जाने वाली मुख्य सडक से जुडी हुई है उक्त सीमा पर प्रार्थी के मकान व टांका बना हुअ उसे भी लिपिकीय त्रुटि से नवीन भू प्रबन्ध के दौरान राजस्व कर्मचारियों द्वारा विवादित भूमि के बाहर बताया गया है प्रार्थी द्वारा राजस्व कर्मचारियों द्वारा की गई त्रुटिपूर्ण तरमीम को दुरूस्त किये जाने हेतु उक्त प्रार्थना पत्र पेश किया गया है।

प्रकरण दर्ज कर जरिये नोटिस विप्रार्थी की तलबी की गई।

तहसीलदार सिवाना ने जरिये पत्र कमांक–भू.अ. / 2025 / 2059 दिनांक 13.10.2025 के द्वारा तथ्यात्मक रिपोर्ट पेश की।

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Singh Khangarot
Date: 2025.11.28 17:09:30 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गई एवं तहसीलदार सिवाना द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट का अवलोकन किया गया तहसीलदार सिवाना के रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी की खातेदारी भूमि सरहद मौजा सिवाना के पुराना खसरा संख्या (2631 / 991 रकबा 1.5176 हैक्टेयर) नवीन खसरा संख्या 2099 के उतरी मार्ग पर रहवासीय मकान बना हुआ है जो सर्वे उपरान्त खसरा संख्या 2085 में चला गया है जो तहसील सिवाना के नवीन भू प्रबन्ध के दौरान खसरा संख्या

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिवाना (बालोतरा)

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बालोतरा)

2099 से खसरा संख्या 2085 से पार्सल बनाया गया है, तहसीलदार सिवाना ने मौका रिपोर्ट के संलग्न नक्शा अनुसार प्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 2099 व 2098 की तरमीम को दुरूस्त करते हुए रहवासीय मकान को खसरा संख्या 2099 में शामिल करने उचित बताया है साथ ही यह अवगत करवाया है कि उक्त तरमीम को दुरूस्त किये जाने से रकबे मे किसी भी प्रकार का परिवर्तन नही होगा ।

लिहाजा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र तहसीलदार सिवाना द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट के आधार पर स्वीकार किया जाकर ग्राम सिवाना तहसील सिवाना के पुराना खसरा संख्या (2631/991 रकबा 1.5176 हैक्टेयर) नवीन खसरा संख्या 2099 व 2098 की नक्शा में विद्यमान वर्तमान तरमीम को निरस्त करते हुए तहसीलदार सिवाना द्वारा मौका रिपोर्ट के संलग्न प्रेषित नक्शा अनुसार दुरूस्त करने के आदेश दिये जाते है। जरिये पत्र कमांक–भू.अ./2025/2059 दिनांक 13.10.2025 तहसीलदार सिवाना द्वारा प्रेषित नक्शा इस आदेश का अभिन्न अंग रहेगा।

आदेश आज दिनांक 15.10.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिवाना (बालोतरा)

(सुरेन्द्र सिंह खंगारोत)
उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बालोतरा)

Signature Not Verified

Digitally signed by Surendra Singh Khangarot
Date: 2025.11.28 17:09:30 IST
Reason: SelfAttested

1

क्षेत्र: : 15448.29 m² "परिमाप: " : 568.17 m

Title :

Points: 9

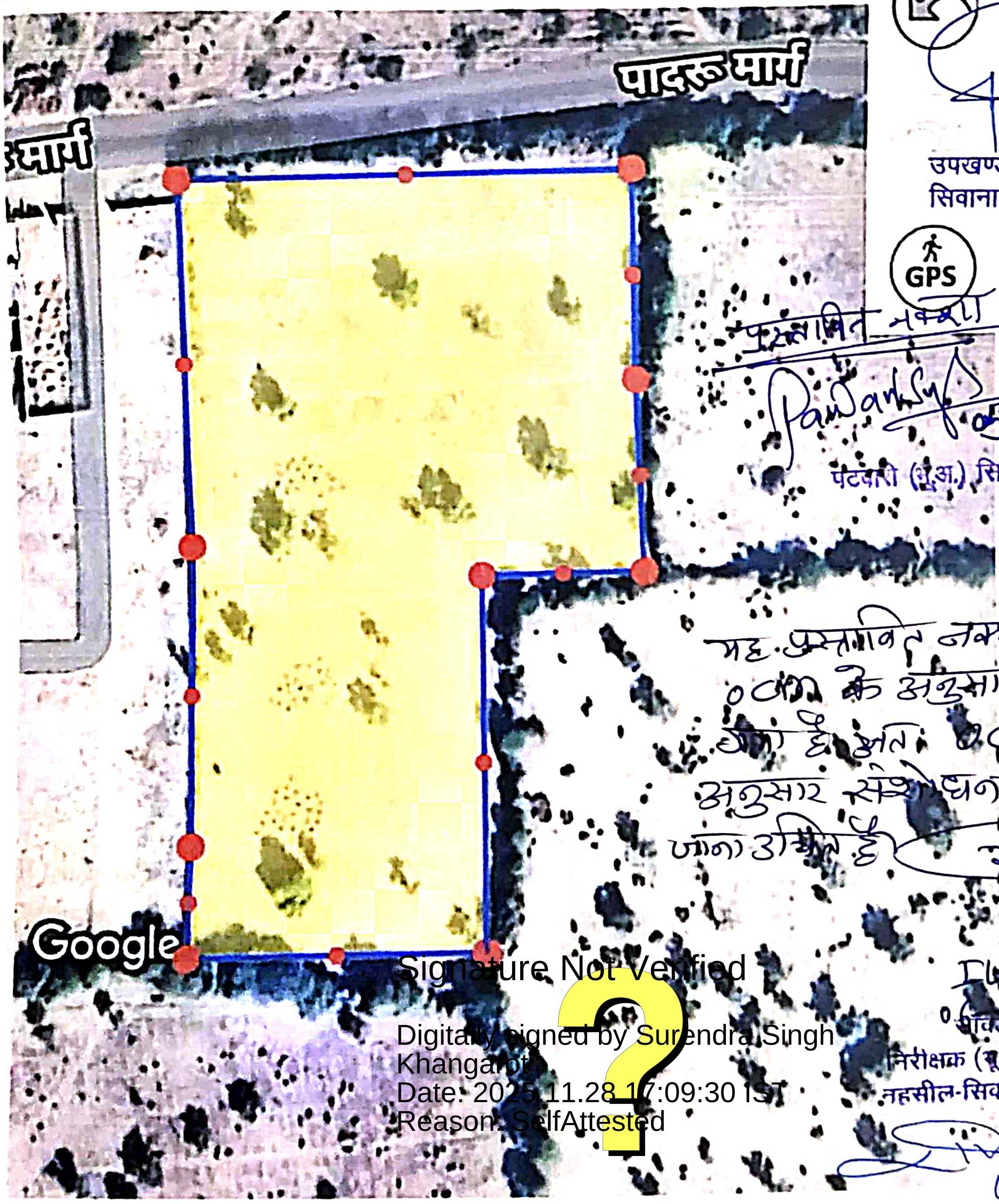

Ex-Court

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बालोतरा)

GPS

प्रस्तावित नक्शा

Pawan Singh

पटवारी (भू.अ.) सिवाना

यह प्रस्तावित नक्शा OCM के अनुसार बनाया गया है अतः OCM के अनुसार संशोधन किया जाना उचित है

ILR सिवाना

0/10/25

भू-अभिलेख निरीक्षक (भू.अ.) सिवाना
तहसील-सिवाना (बाड़मेर)

6/10/25

तहसीलदार (भू.अ.) सिवाना

Signature Not Verified

Digitally signed by Surendra Singh Khangarot
Date: 2025.11.28 17:09:30 IST
Reason: SelfAttested

CamScanner